भारत का राजपत्र

The Gazette of India

अमाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2017/माघ 19, 1938
No. 334] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2017/MAGHA 19, 1938

कृपया एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृपया, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
अभियुक्त
नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2017

का.आ. 369(अ)—जबकि, सेवाओं अथवा लाभों अथवा राजस्वहार्यानारूप सरकार की आपूर्ति के लिए पहचान कामजात के रूप में आधार के उपयोग से सरकार की आपूर्ति प्रक्रिया सरल होती है, इससे पारदर्शिता और वक्ता आती है और सरल एवं निरंतर रीति से सामान्य रूप से काम कर सकते हैं और आधार पहचान साधित करने के लिए अनेक कामजात प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निराधार करता है।

और जबकि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीपीएफबी) और पुरुषगढ़ योगी सम्मान आधारित फसल बीमा योजना (आरडीयूबीसीआईएस) फसल ढंग के विपरीत व्यापक बीमा क्रय प्रदान करने है इसलिए किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है और किसानों की सभी वरिष्ठ खातान्त्रिक और निजी फसलों के लिए 2 प्रतिशत, रबी खातान्त्रिक और निजी फसलों के लिए 15 प्रतिशत और भारतीय वाणिज्यिक अथवा बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत अंतर्विकल प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

और जबकि, वास्तविक प्रीमियम और किसानों द्वारा भुगतान योगी बीमा शुल्क की दर के बीच अंतर को केन्द्र तथा राजस्व सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। केन्द्र सरकार के शेयर में भारत की संयुक्त निधि से किया गया व्यय आयमित होता है।

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य राजस्वहार्यानारूप लाभों और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) अधिनियम, 2016, (2016 का 18) (इसके पश्चात) कविता अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के प्रवधानों के अनुसार में केन्द्र सरकार कृपया एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृपया, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग एवं जनावर दिनांकित अधिसूचित करते हैं, अथाहतः—
1. कृपया, महाकालिता एवं किसान कल्याण विभाग की किसी भी फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने वाले किसानों के लिए आधार प्रमाणीकरण अथवा आधार होने का सबूत प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

2. कृपया, महाकालिता एवं किसान कल्याण विभाग की किसी भी फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने वाले कोई भी किसान जो आधार के लिए अभी तक नामांकित नहीं है, एवं आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है तथा यदि वह कृपया अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है तो ऐसे व्यक्ति किसी आधार नामांकन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं (आधार के लिए नामांकन कराने के लिए सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

3. आधार (नामांकन और अधिकृत) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के कृपया अथवा बागवानी अथवा महाकालिता विभागों के लिए नामांकन मुख्यालयों का प्रवेश अथवा ऑनलाइन करना अपेक्षित है जो आधार के लिए अभी नामांकित नहीं है। अथवा अथवा नामांकन केंद्र अवस्थित न होने के मामले में संबंधित कृपया अथवा बागवानी अथवा महाकालिता विभाग द्वारा वर्तमान यूआईईए के पंजीयक के साथ समन्वय करके निम्नलिखित न्यायिक संस्थाओं पर नामांकन मुख्यालयों द्वारा आधार की जाए अथवा आने वाले यूआईईए पंजीयक द्वारा आधार नामांकन मुख्यालयों का प्रदान की जाए।

प्रदान किया गया कि व्यक्ति को आधार मिलते हुए तक कृपया, महाकालिता एवं किसान कल्याण विभाग की किसी भी फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा किसानों द्वारा निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है, अथवा :-

i. फोटो के साथ बैंक पासपुर; और

ii. आधार नामांकन आई डी प्यारी, यदि वह नामांकित है; अथवा

iii. उसका मतदान पहुँचा पत्र; अथवा

iv. किसान फोटो पासपुर; अथवा

v. नरेन्द्रा जॉर्ज फाइल; अथवा

vi. पैट्रा 2 के उप पैट्रा (2) में निर्दिष्टानुसार आधार नामांकन के लिए किया गया अनुरोध की प्रति के साथ डाइगिटल नोटिस.

vii. संबंधित प्रवेश में चोरापाप है कि उसके लिए अन्य बैंक खाते के तहत समान खर्चा नम्बर/संख्या में उसी फसल के लिए फसल बीमा प्राप्त नहीं किया है।

आगे प्रदान किया गया कि इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारियों द्वारा उपयुक्त कार्यालय की जांच की जाएगी।

2. फसल बीमा पाने वाले किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए, कृपया अथवा बागवानी अथवा महाकालिता विभाग अथवा व्यक्ति की किसी मात्रा के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं, महाकालिता समिति की सभी शाखाओं, ग्रामीण बैंक की सभी शाखाएं और इससे हजारों अन्य कार्यालयों की निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित प्रबंध करते हैं, अथवा :-

(1) फसल बीमा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में आवेदकों अथवा किसानों को जागरूक बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं, महाकालिता समिति की सभी शाखाओं, ग्रामीण बैंक की सभी शाखाओं, कृपया अथवा बागवानी अथवा महाकालिता विभाग के सभी व्यक्ति कार्यालयों के माध्यम से मीडिया और वैश्विक सुचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और उन्हें व्यक्ति अथवा तहसील अथवा तालुका में उपलब्ध नवीनीकरण केंद्रों पर अपने आप को नामांकित कराने के लिए सलाह दी जाए। तथ्यानुसार उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
S.O. 369(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one’s identity;

And whereas, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and Restructured Weather based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) provides a comprehensive insurance cover against failure of the crop thus helping in stabilising the income of the farmers and the farmers shall pay the maximum premium of 2% for all Kharif Food grain and Oilseeds crops, 1.5% for Rabi Food grain and Oilseeds crops and 5% for Annual Commercial or Horticultural Crops;

And whereas, the difference between actual premium and the rate of insurance charges payable by farmers shall be shared equally by the Central and State Governments. The Central Governments’ share involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmer’s Welfare hereby notifies the following, namely:

(1) Farmers availing crop insurance under any of the crop insurance schemes of Department of Agriculture, Cooperation and Farmer’s Welfare are hereby required to undergo Aadhaar authentication or furnish proof of possession of Aadhaar.

(2) Any farmer availing crop insurance under any of the crop insurance schemes of Department of Agriculture, Cooperation and Farmer’s Welfare who is not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make application for Aadhaar enrolment and in case he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in to get enrolled for Aadhaar).
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Agriculture or Horticulture or Cooperation Department of the respective State Governments are required to arrange or offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there are no Aadhaar enrolment centers located within Block or Tehsil or Taluka, the Agriculture or Horticulture or Cooperation Department of the State Governments concerned may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, crop insurance under any of the crop insurance schemes of Department of Agriculture, Cooperation and Farmer's Welfare may be availed by the farmers subject to the production of the following documents, namely:

i. Bank passbook with photo; and
ii. Aadhaar enrolment ID slip, if he has enrolled; or
iii. his voter ID card; or
iv. Kisan Photo Passbook; or
v. NREGA Job card; or
vi. Driving license along with copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and
vii. undertaking in the attached format that he is not availing crop insurance for the same crop in the same survey number under some other bank account:

Provided further that the above documents shall be checked by officers specifically designated by the State Government for that purpose.

2. In order to increase the number of farmers availing crop insurance, the Agriculture or Horticulture or Cooperation Departments through their field offices, Krishi vigyan Kendras, Krishi Mitra, all the branches of Commercial Banks, all the branches of Cooperative Societies, all the branches of Regional Rural Banks and any other offices associated with them shall make all the required arrangements including the following, namely:

(1) Wide publicity through media and individual notices through all the branches of commercial Banks, all the branches of Cooperative Societies, all the branches of Regional Rural Banks, all the field offices of the Agriculture or Horticulture or Cooperation Department shall be given to applicants or farmers to make them aware of the requirement of Aadhaar to avail crop insurance and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available within Block or Tehsil or Taluka. The list of locally available enrolment centres should be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries are not able to enrol due to non availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluka, the Agriculture or Horticulture or Cooperation Departments in the States are required to create enrolment facilities at convenient locations and the applicants or beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, ration card number, address, mobile number on their web portal and such requests can also be registered at the field offices.
3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 18015/01/2015-Credit-II (Pt.)]

Dr. ASHISH KUMAR BHUTANI, Jt. Secy. (Credit & Cooperation)